शाकाहार के विषय में एक और सार्थक पहल

अहिंसा, जीवदया, शाकाहार आदि विषयों में जनचेतना जाग्रत कराने वालों में दिगम्बर जैनाचार्यप्रवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम सदैव अग्रगण्य रहता है । आपकी हार्दिक भावनाओं को मूर्तरूप/साकारता देने वाले उनके आज्ञाकारी मुनित्रय **सर्वश्री मुनि अभयसागर जी, मुनि श्री प्रभातसागर जी एवं मुनि श्री पूज्यसागर जी** का सन् 2011 का चातुर्मास श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मांझ मंदिर, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश में हुआ था । टीकमगढ़ जिले में तथा उत्तरप्रदेशस्थ ललितपुर जिले में भी लगभग एक वर्षीय प्रवासकाल में मुनित्रय के दर्शन-वंदन हेतु टीकमगढ़ नगर के लोकप्रिय विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह बुंदेला 'जग्गू राजा' खरगापुर, पपौरा जी, गुढ़ा, कारी आदि में समय-समय पर पहुँचते रहे हैं । इसी दौरान मुनिद्वय की उपस्थिति में ज्येष्ठ **मुनि श्री अभयसागर जी** से आपने खाद्य पदार्थ निर्माताओं, पैककर्ताओं आदि के द्वारा पैक्ड खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर की जा रहीं गड़बड़ियों को सूक्ष्मता से जाना/समझा ।

शाकाहार, अहिंसा में आस्था रखने वाली भारतीय जनता की कदाचित् अज्ञानता, प्रमाद, लापरवाही या कहें वास्तविक जानकारी के अभाव में शाकाहार युक्त खाद्य सामग्री के स्थान पर धोखे से मांसाहार युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से हो जाने वाली नागरिकों की पीड़ा व भावनाओं की कद्र करने हेतु विधायक जी संकल्पित हुए कि मैं मध्यप्रदेश विधानसभा में जन-भावनाओं को उचित माध्यम से उठाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के लिए प्रेषित कराऊँगा ।

उक्त संकल्प को मूर्तरूप देने हेतु वरिष्ठ कांग्रेस विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह (ताल दरवाजा, टीकमगढ़- 472 001, म.प्र., मो. 094250-10700) के द्वारा विधानसभा सचिवालय के लिए एक **'अशासकीय संकल्प'** का प्रारूप प्रेषित किया गया । म. प्र. विधानसभा, भोपाल के प्रमुख सचिव राजकुमार पाण्डे के द्वारा बुधवार, 23-11-2011 को जारी पत्रक भाग-दो, क्रमांक 214 में 25-11-2011 के लिए निर्धारित किये गये चार **'अशासकीय संकल्पों'** की निर्गमित विषय-सूची में नं. 3 (कमांक 12) पर इसे सम्मिलित किया गया । इसमें उल्लेखित किया गया था कि टीकमगढ़ (43) विधायक यादवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत **'अशासकीय संकल्प'** इस प्रकार होगा - **"यह सदन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता है डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर हिन्दी तथा अंग्रेजी (दोनों ही भाषाओं) में 'शाकाहार खाद्य पदार्थ' या 'मांसाहार खाद्य पदार्थ' लिखा जाना भी अनिवार्य किया**

विधानसभा में उक्त अशासकीय संकल्प पर हुई चर्चा में प्रदेश के संसदीय कार्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है । पूरा सदन एवं राज्य सरकार भी इस बात से सहमत है कि डिब्बाबंद खाद्य सामग्री पर पूर्व निर्धारित हरे या भूरे रंगों वाले प्रतीक चिह्नों के अतिरिक्त हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में **'शाकाहार खाद्य पदार्थ/vegetarian Food'** या **'मांसाहार खाद्य पदार्थ/Non-Vegetarian Food (Non.Veg.)'** शब्दों का भी स्पष्टतः उल्लेख किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि अब यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष भेजा जाएगा ।

इससे पहले विधायक यादवेन्द्र सिंह ने सदन में कहा कि कानून में उचित संशोधन करके **भारत के राजपत्रों** में क्रमशः **4 अप्रैल, 2001** से **मांसाहार युक्त** पैक्ड खाद्य पदार्थ के पैकेटों पर **कत्था/भूरा रंग (ब्राउन कलर)** से [लाल रंग(Red colour) नहीं] तथा **20 दिसम्बर, 2001** से **शाकाहार युक्त** पैक्ड खाद्य पदार्थ के पैकेटों पर **हरा रंग (ग्रीन कलर)** से एक प्रतीक चिह बनाया जाना अनिवार्य हो चुका है । किन्तु वह प्रतीक चिह इतना छोटा होता है कि सामान्य व्यक्ति उसे प्रायः देख/समझ ही नहीं पाता है । चूँकि भारतीय जनता अधिकांशतः कम शिक्षित है, अतः पैक्ड खाद्य पदार्थ शाकाहारवाला है या मांसाहारवाला, ऐसी सही समझ के अभाव में धोखे से शाकाहार के स्थान पर मांसाहार युक्त खाद्य पदार्थ का वह उपयोग कर लेती है, और वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर अत्यधिक मानसिक कष्ट, संताप को प्राप्त होती रहती है ।

इसके साथ ही यादवेन्द्र सिंह ने एक महत्त्वपूर्ण जानकारी सदन को देते हुए कहा कि यूरोपीय कानून की भाँति अब भारत में भी पैक्ड खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर **'ई-नंबरिंग सिस्टम'** [अन्तरराष्ट्रीय संख्यात्मक पहचान] भी लागू किया जा चुका है । अतः कानूनी औपचारिकता की पूर्ति के लिए ई-नंबर्स लिखे तो जाते हैं, किन्तु वे ई-नंबर्स फुड कलरिंग एजेण्ट, कंजर्वेशन एजेण्ट, एण्टिऑक्सीडेण्ट, इमल्सीफायर्स, स्टेबिलाइजर्स, थिकनिंग एजेण्ट, एण्टीकॉग्लेण्ट, फ्लेवर इन्हेंसर, एसिड प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, फर्मिंग एजेण्ट, एण्टी केकिंग एजेण्ट, सेक्यूस्टेंट, स्वीट्नर, जेलिंग एजेण्ट, राइजिंग एजेण्ट, इम्प्रूविंग एजेण्ट, ग्लेजिंग एजेण्ट, एण्टीफोमिंग एजेण्ट, पैकेजिंग गैस, प्रोपलेण्ट, मोडीफाइड स्टार्च आदि के भेद से अनेक प्रकार के होते हैं । इसलिए इनके नाम नहीं लिखकर इनके लिए निर्धारित अंक, जो करीब 1500 तक होते हैं, को बहुत छोटे अंकों में पैकेट पर लिखा जाता है । भले ही डिब्बे पर शाकाहार पदार्थ विषयक प्रतीक चिह्न हरा रंग से बना हो, परन्तु इंटरनेट से इन ई-नंबर्स के डिटेल्स को जानने पर ज्ञात होता है कि इनमें से अनेक प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जो स्पष्टतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित मांसाहार की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा **'मांसाहारी खाद्य'** की परिभाषा इस प्रकार बनाई गई है कि, **"मांसाहारी खाद्य" से एक ऐसा खाद्य अभिप्रेत है जिसमें एक संघटक के रूप में दुग्ध या दुग्ध उत्पादों को छोड़कर पक्षियों, ताजा जल अथवा समुद्री जीव-जन्तुओं अथवा अण्डों अथवा किसी पशु जनित उत्पाद सहित, कोई भी समग्र जीव-जन्तु अथवा उसका भाग अन्तर्विष्ट हो ।**

आपने अनेक कंपनियों द्वारा निर्मित बिस्कुटों का उल्लेख करते हुए सदन को यह भी बताया कि बिस्कुटों के रैपर्स पर ई-नंबर्स के लिए इमल्सीफायर्स हेतु निर्धारित नंबर 322, 471 एवं 481 प्रायः देखने में आता है । ई-322 को अण्डे की जर्दी (एग यॉक) अथवा जानवरों में पाई जाने वाली चर्बी से भी प्राप्त करके खाद्य पदार्थों के रंगों को स्थायित्व देने तथा आइसक्रीम को पिघलने से बचाने तथा पानी को मलाईदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है । ई-471 को गाय या सुअर आदि प्राणियों से भी प्राप्त करके खाद्य पदार्थों में स्पंज बनाए रखने तथा अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु प्राणीजन्य स्रोतों से भी प्राप्त करके खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है । इसी प्रकार ई- 481 संभवतः किसी प्राणीजन्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है ।

ऐसे ही जहाँ ई-330 बच्चों के लिए विशेष रूप से हानिकारक होने के साथ-साथ केंसर जैसे भयानक एवं कष्टदायी रोग के लिए भी कारण होता है, वहीं ई-१२० को कोचीनियल/कार्मनिक एसिड की प्राप्ति के लिए 70 हजार कीड़ों को मारकर एक पाउंड पदार्थ प्राप्त किया जाता है । यह लाल रंग के रूप में खाद्य वस्तुओं को रँगने के लिए उपयोग किया जाता है । अतएव शाकाहार या मांसाहार खाद्य पदार्थ के रूप में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में स्पष्टतः लिखे जाने के साथ ही ई-नंबरिंग सिस्टम कोड भी और अधिक स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ।

इस प्रसंग में म. प्र. शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण राज्यमंत्री हरिशंकर खटीक ने विधानसभागत चर्चा में भाग लेते हुये कहा कि विधायक जी की बात को सदन ने ध्यान से सुना है । और इस बात का हम सभी समर्थन करते हैं । अंत में पीठासीन विधानसभा उपाध्यक्ष ने उल्लेखित किया कि विधायक जी की बात से सारा सदन सहमत है । अतः **"यह सदन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में 'शाकाहार खाद्य पदार्थ/Vegetarian Food' या 'मांसाहार खाद्य पदार्थ/ Non-Vegetarian Food (Non-Veg.)' भी लिखा जाना अनिवार्य किया जाए एवं ई-नंबरिंग सिस्टम भी स्पष्टतः जोड़ा जाए ।"** इस प्रकार यह 'अशासकीय संकल्प' सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

इस तरह **मुनित्रय श्री अभयसागर जी, श्री प्रभातसागर जी एवं श्री पूज्यसागर जी महाराजों** की प्रेरणा से एवं **मुनि श्री अभयसागर जी** की पहल पर टीकमगढ़ के कर्मठ विधायक यादवेंद्र सिंह के द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा के माध्यम से एक सार्थक प्रयास स्वीकृत होकर अब केन्द्र सरकार की ओर कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जा चुका है ।

शाकाहार, अहिंसा, जीवदया, करुणा, प्राणीमैत्री इत्यादि में आस्था रखने वाले देश व विदेश के प्रबुद्ध नागरिकों, समाजसेवियों, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं का अब यह नैतिक कर्तव्य है कि वे जहाँ विधायक यादवेन्द्र सिंह के सत्प्रयास के प्रति उनका आभार प्रकट करते हुये उन्हें प्रेरणा प्रदान करें कि ऐसे जनहितकारी कार्य हेतु वे सदा तत्पर रहें, वहीं देश के **प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह,** 152-साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110 001, फोन-(011) 2301-2312/7660, फैक्स-2301-6857, 23019545, ई-मेल- pmosb@pmo.nic.in, **यू.पी.ए. अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी,** 10-जनपथ, नई दिल्ली-110 011, फोन-(011) 23014-161/481, फैक्स-2301-8651/8550, ई-मेल-soniagandhi@sansad.nic.in, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री- **गुलाम नबी आजाद, 150-ए, निर्माण भवन, सी विंग, नई दिल्ली-110 001, फोन-011-23061647, 23061661, 23061751, फैक्स-23792341, 23061658 (O), ईमेल azadg@sansad.nic.in वेबसाइट-www.mohfw.nic.in** के पतों पर अधिक से अधिक जन भावनाएँ प्रेषित करें/कराएँ। इसके अतिरिक्त अपने संपर्कों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों, क्षेत्रीय सांसदों से भी निवेदन करें कि वे अपने सत्प्रयासों से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क करके इसे मूर्त रूप दिलवाएँ। साथ ही वे अपने-अपने सदनों में भी इस विषय को उचित माध्यम से उठाकर कानून में उचित संशोधन कराएँ।

इसके अतिरिक्त अपने प्रदेश के विधानसभा/विधान परिषद के विधायकों के माध्यम से भी अपनी-अपनी प्रादेशिक विधानसभा या विधान परिषद में इस प्रकार के **'अशासकीय संकल्प'** के द्वारा या अन्य उचित रूप से भी इसे पारित करवाने हेतु निवेदन करें। इस हेतु जनचेतना जाग्रत कर अधिक से अधिक लोगों से इस मुहिम के लिए हस्ताक्षर भी कराए जाकर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को भिजवाए जाएँ। आधुनिक प्रिण्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर, इन्टरनेट, ई-मेल, एस. एम. एस., वेबसाइट, आरकुट एवं कम्युनिटी ग्रुप इत्यादि के द्वारा भी अधिकतम लोगों तक एवं पत्र-पत्रिकाओं में भी समाचार प्रकाशित करवाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र इस विवरण को प्रेषित करें, ताकि जनभावनाएँ मंत्रालय को प्रेषित की जाएँ। फिर मंत्रालय के द्वारा संबंधित अधिनियम में उचित एवं अपेक्षित संशोधन करके इस विषय को शामिल किया/कराया जा सके।

स्मरणीय है कि म. प्र. में स्थित लगभग एक लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर, 2010 से 'अटल बाल आरोग्य पोषण मिशन' योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा प्रसूति के उपरांत स्तनपान कराने वाली महिलाओं के शरीरगत कुपोषण को दूर करने हेतु एक नई योजना लागू की जा रही थी। वर्ष 2010 में शाहगढ़ (सागर) म. प्र. की वर्षायोग कालावधि में इन्हीं त्रय मुनिराजों को उक्त परियोजना के अन्तर्गत **'मिड-डे मील योजना'** में प्रत्येक लाभार्थियों को अन्य सामग्रियों के साथ **'अण्डों'** के वितरण किए जाने की भी जानकारी प्राप्त हुई थी।

पूज्य मुनिद्वय की सन्निधि में वरिष्ट **मुनि श्री अभयसागर जी महाराज** के द्वारा तब भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा तैयार की गई आहार की वर्गीकृत सारणी, प्रामाणिक जानकारियाँ, वैज्ञानिक शोध निष्कर्षों आदि को तैयार करके इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के द्वारा प्रचारित कराया गया। साथ ही जनचेतना जाग्रत कराकर मंत्रियों, राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अण्डा खाने से होने वाले नुकसानों, बच्चों के शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों तथा अन्य योग्य पोषक खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले विटामिन्स, मिनरल्स कैलोरी आदि की सही जानकारियाँ पहुँचाई गई थीं।

सभी के समग्र प्रयासों से म. प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा अपने आवास पर आयोजित **'क्षमावाणी'** के कार्यक्रम में उक्त योजना से 'अण्डा' वितरण को हटाए जाने तथा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसी किसी भी योजना में अण्डा शामिल नहीं किए जाने की स्पष्ट घोषणा करके, अहिंसक एवं शाकाहारी संस्कृति के भारतीय परिवेश को महत्त्व प्रदान किया गया था।

-प्रेषक-
सुनी कपूरचन्द्र जैन
पारस बीज भण्डार, बस स्टेण्ड के पास
मड़ावरा- 284404, जिला-ललितपुर, उ.प्र.
मो. 076075 29410
E-mail- jainsuneeta8@gmail.com